संख्या-28/2021/127806/38-6099(99)/11/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2021

विषय- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में आरसेटी के प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-320/488/ आजीविका/आरसेटी-बजट/2021-22, दिनांक 01-06-2021 के क्रम में अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0- जी-12036/3/2016-आरसेटी(सी.नं. 352017)-1 दिनांक-24-05-2021 द्वारा आरसेटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 834.105 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में आरसेटी की प्रतिपूर्ति क्रमश: रू0 167.34 लाख तथा रू0 1851.485 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 2852.93 लाख (रू0 अटठाइस करोड बावन लाख तिरानबे हजार मात्र) अवमुक्त की गई है। आरसेटी योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में से भारत सरकार द्वारा आरसेटी योजनान्तर्गत अनुदान सं0-13 (सामान्य मद) में निर्गत धनराशि रू0 2852.93 लाख (रू0 अटठाइस करोड बावन लाख तिरानबे हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

1. आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

2. प्रश्नशगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धदता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्लगत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्याकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

4. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

5. स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/ सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व् आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्याकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

9. धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

11. भारत सरकार के पत्र दिनांक-24-05-2021 में अंकित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं अन्य संगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना)(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या -यू0ओ-ई-2-363/दस-2021, दिनांक-15-07-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि निम्नतलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य् कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्तय (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्यक विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in